

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 27(2)मं.मं./2009


जयपुर, दिनांक: 12.2.2021

परिपत्र

राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1)(XXXVI) के अंतर्गत इस सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.01.2015 एवं 26.02.2015 के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 12.10.2020 के बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-


“राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों यथा रीको इत्यादि को 50 (पचास) एकड़ से अधिक के भूमि आवंटन के प्रकरणों को उक्त आदेश से मुक्त रखा जावेगा।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(दिनेश कुमार यादव)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
12/2/2021  
शासन सचिव